राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1132/2014/जयपुर
अपील संख्या 1133/2014/जयपुर

.....अपीलार्थी.

मैसर्स बजरंग मार्केटिंग कम्पनी, 8, पुरोहित जी का बाग, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

<u>खण्डपीठ</u> <u>श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष</u> श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थितः

श्री एस.के.जैन, अभिभाषक।

श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से निर्णय दिनांक : 04.09.2017

.....अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रस्तुत दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 18.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.10.2013 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से बैटरी एवं एडोप्टर/चार्जर पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :--

अपील सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील सं.	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज
1132/14	240/अपील्स–11/आरवीएटी	13-14	2,80,032	33604
1133/14	241/अपील्स–II/आरवीएटी	13-14	2,90,769	8723

प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से 2. निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण 3. दिनांक 13.09.2013 को किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा मोबाईल फोन, मोबाईल फोन एसेसरीज, लैपटॉप, बैट्री आदि का क्रय विक्रय किया जाता है अतः इनकी बिक्री से संबंधित आंकडे प्राप्त किये गये। टेबलेट की बिक्री अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 3 व 12 के तहत 5 प्रतिशत की दर से की गयी है तथा बैट्री व चार्जर का विक्रय अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 28 के तहत 5 प्रतिशत की दर से किया गया है। सशक्त अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद टेबलेट एवं बैट्री / चार्जर अधिनियम की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्टम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में उक्त तालिका अनुसार 9 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शारित आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई,

14-

लगातार.....2

अपील संख्या 1132 एवं 1133/2014/जयपुर

अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुऐं बैट्री/एडोप्टर/चार्जर को अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत सामान्य दर से निर्धारित करते हुए आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को विधिसम्मत माना एवं इस बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की तथा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अन्तर कर एवं ब्याज के बिन्दु पर यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में अंतर कर का आरोपण का मुख्य आधार दो तरह से बिक्री किये जाने का माना गया। प्रथम सेलफोन, बैट्री एवं चार्जर तीनों एक ही पैकिंग में होने एवं बैट्री चार्जर का पृथक से मूल्य वसूल नहीं करना। द्वितीय बैट्री तथा चार्जर की बिक्री पृथक से स्वतंत्र रूप से भी किया जाना। कोई भी पार्टस की बिक्री को पृथक से विक्रय करने पर प्रकृति के स्वरूप में बदलाव नहीं आता। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माना गया आधार अविधिक है।

उन्होंने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नंo 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लिo बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी को सामान्य कर दर से निर्धारित नहीं करते हुए अनुसूची चतुर्थ के तहत निर्धारित किया है, अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इन प्रकरणों में भी बैटरी की कर दर होगी। उन्होंने कथन किया कि बैट्ररी चार्जर के बिना मोबाईल संचालित ही नहीं हो सकते है, अतः इन पर भी माननीय राजस्थान का उपरोक्त उद्धरित निर्णय के सिद्धान्त लागू होने से 5/5.5 प्रतिशत की करदेयता लागू होगी। उन्होंने उक्त निर्णयों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. में बैट्री को सामान्य कर दर से निर्धारित करते हुए निर्णय पारित किया है।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि मोबाईल फोन, मोबाईल फोन एसेसरीज एवं लेपटॉप के साथ विक्रय की गई बैटरी एवं एडोप्टर/चार्जर पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी। इस संबंध में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नंo 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लिo बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय का सुसंगत विवरण निम्नानुसार है :--

लगातार......3

- 2 -

अपील संख्या 1132 एवं 1133/2014/जयपुर

.....

In the case of Vikas Traders V. The State of Gujarat (supra), the court took into consideration as to whether batteries were component parts and there was a finding that batteries were being used for tractors as well, and tractor being not motor vehicle, therefore, claim of the Revenue was that different rate would apply, however, the court analysing the provisions, came to the conclusion that battery specifically falls as component part even though it has been used in a tractor and thus directed to apply the same rate.

- 3 -

.....

The Allahabad High Court in the case of Tudor India Limited V. State of U.P.2014 SCC Online All 11944, had also a occasion of considering sale of automotive batteries and held that battery is an essential component for the functioning of tractor and is an integral part of tractor and, therefore, the same rate was required to be applied.

The Allahabad High Court in the case of Commissioner of Sales Tax V. Banaras Battery Works 1981 U.P.T.C 974, had an occasion to consider whether battery is an accessory or a part and it held that while an accessory has been held to be an article which is used for convenient and smooth functioning, whereas a battery caanot be said to be an accessroy rather a vehicle is not complete without battery as the vehicle cannot operate without a battery, therefore, battery is a component part of motor vehichle and held that same rate is applicable.

The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. V. Kores(India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter(unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon si not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated.

Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my veiw, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.03.2012 is reversed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया बाध्यकारी एवं आच्छादित है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता विधिसम्मत है। अतः इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज अपास्त कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को भी निरस्त किया जाता है।

जहां तक व्यवहारी द्वारा बिक्रीत एडोप्टर / चार्जर का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. निर्णय तिथि 17.12.2014 का सुसंगत वर्णन निम्नानुसार है :--

"In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone chareger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. we further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

लगातार.....4

अपील संख्या 1132 एवं 1133/2014/जयपुर

उक्त प्रकरण की स्थिति, परिस्थति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील सख्या 469/2014/अलवर से 472/2014/अलवर मै. नोकिया इण्डिया प्रा.लि. अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी जयपुर निर्णय दिनांक 26.04..2017 एवं अपील संख्या 290/2014/जयपुर, से 292/2014/जयपुर मै. सेवेक्स कम्प्यूटर लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी जयपुर निर्णय दिनांक 17.07.2017 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को आंशिक स्वीकार किया जाता है। परन्तु अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 को संशोधन कर प्रविष्टि सं0 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5/5.5 प्रतिशत की करदेयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात बैट्री चार्जर/एडोप्टर पर कर दर संशोधित दर से लागू होगी। परन्तु दिनांक 06.03.2013 से पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 (उपरोक्त) के अनुसार सामान्य कर दर रहेगी।

उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार करारोपण हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय) सदस्य ५११।)

 $\left[\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right] = \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}$

(वी.श्रीनिवास) अध्यक्ष